कृषि विश्वविद्यालय का सप्तम दीक्षांत समारोह आयोजित

ज्ञान का प्रकाश समाज तक पहुंचाना युवाओं का दायित्व: राज्यपाल बागड़े

विद्यार्थी के जीवन में एक महत्वपूर्ण संकल्प का क्षण

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि दीक्षांत समारोह केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि यह प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में एक महत्वपूर्ण संकल्प का क्षण होता है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में प्राप्त ज्ञान, शिक्षकों का मार्गदर्शन और वर्षों की मेहनत के साथ-साथ अभिभावकों के त्याग एवं तपस्या का यह परिणाम है। अब यह युवाओं का दायित्व है कि वे अपने ज्ञान का उपयोग राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व निभाने में करें। इस अवसर पर राज्यपाल द्वारा सावंत कुआं, बावड़ी स्थित डेयरी एवं खाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तथा प्रौद्योगिकी एवं कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के छात्रावासों का लोकार्पण किया गया तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया। समारोह में कुल 403 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं और कुल 15 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए।

जयपुर. कंचन केसरी। राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि दीक्षांत केवल उपाधि प्रदान करने का अवसर नहीं, बल्कि यह विद्यार्थियों के नव जीवन में प्रवेश का महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में दीक्षांत समावर्तन संस्कार के रूप में जाना जाता था, जिसमें विद्यार्थी को समाज के लिए समर्पित जीवन जीने का संदेश दिया जाता था। राज्यपाल बागड़े शुक्रवार को कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के सप्तम दीक्षांत समारोह में सम्बोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय में अर्जित ज्ञान का प्रकाश समाज के प्रत्येक कोने तक पहुंचाना विद्यार्थियों का दायित्व है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपनी शिक्षा का उपयोग राष्ट्र और समाज के विकास के लिए करें तथा जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर सतत प्रयास करते रहें। उन्होंने शिक्षा को जीवन का आलोक पथ बताते हुए कहा कि यही वह माध्यम है जिससे व्यक्ति स्वयं के साथ-साथ समाज और विश्व को भी प्रकाशित करने की क्षमता प्राप्त करता है। राज्यपाल ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश की बड़ी आबादी इससे जुड़ी हुई है। उन्होंने विश्वविद्यालय से अपेक्षा की कि वह कृषि एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार आधारित शोध को बढ़ावा दे, जिससे स्थानीय जलवायु के अनुरूप उन्नत खेती को प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने कहा कि आज कृषि में नई चुनौतियों के समाधान के लिए आधुनिक तकनीकों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन एवं रोबोटिक्स का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। एआई के विवेकपूर्ण उपयोग पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इसका उपयोग कृषि उन्नयन और अनुसंधान में किया जाना चाहिए, जिससे किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र को अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि कृषि विकास के लिए शोध एवं नवाचार को प्राथमिकता देना आवश्यक है। राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की सेहत प्रभावित हो रही है। उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाने और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और पानी की बचत ही उसका उत्पादन है। पारंपरिक कृषि ज्ञान, स्थानीय किसानों के अनुभव और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से ही टिकाऊ कृषि प्रणाली विकसित की जा सकती है।

कृषि केवल आर्थिक गतिविधि नही

सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक कृषि परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में कृषि केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था का आधार रही है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा ए ग्रेड मिलने पर बधाई दी। उन्होंने वैज्ञानिकों द्वारा विकसित उन्नत फसल किस्मों, कृषि मशीनरी परीक्षण केंद्र की स्थापना, बाजरे की देशी किस्मों के संरक्षण तथा मेहंदी कटाई मशीन जैसे नवाचारों को सराहनीय बताया। उन्होंने मिलेट्स (मोटे अनाज) के बढ़ते वैश्विक महत्व का उल्लेख करते हुए इस दिशा में और अधिक कार्य करने का आह्वान किया।

पाली जिला प्रभारी मंत्री ने जिला स्तरीय अधिकारियों की ली बैठक में समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश

जयपुर.का.सं

पाली जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा व जिला प्रभारी सचिव पी. रमेश ने पाली सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 की बजट घोषणाओं के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान खर्रा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं को जनहित से जुड़ा बताते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि बजट घोषणाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुंचे, उन्होंने समीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा कर तेजी से कार्य करने के लिये कहा। खर्रा व प्रभारी सचिव ने आगामी ग्रीष्मकाल में जल आपूर्ति तैयारी,समर कंटींजेंसी प्लान , पेयजल आपूर्ति की स्थिति, टैंकर प्रबंधन एवं वैकल्पिक स्रोतों की उपलब्धता, हैण्डपंप नलकूप, बजट घोषणाओं (वर्ष 2024-25 एवं 2025-26) की प्रगति की समीक्षा ,बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति, लंबित घोषणाओं के कारण एवं समयबद्ध पूर्णता की कार्ययोजना, बजट वर्ष 2026-27 की घोषणाओं हेतु भूमि आवंटन की समीक्षा की व भूमि की उपलब्धता एवं आवंटन की स्थिति , समाधान के बारे में विस्तार से आवश्यक निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने पंच गौरव कार्यक्रम की प्रगति, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिले के चयनित उत्पादों का विकास एवं विपणन,स्थानीय उद्यमिता एवं रोजगार के बारे में जानकारी ली।साथ ही छात्रवृत्तियां,अन्य महत्वपूर्ण राज्य स्तर पर लम्बित मुद्दे, विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की व प्रगति लाने के निर्देश दिये।

मुद्दों के समाधान के लिये कार्ययोजना सुझाव भी लिये

नमो नर्सरी की तैयारी ,पौधरोपण अभियान की तैयारी एवं नर्सरी की स्थिति, लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन एवं वितरण के लिये कार्ययोजना, विद्यालय भवनों की स्थिति एवं मरम्मत कार्य स्कूल भवनों की भौतिक स्थिति का आंकलन,आवश्यक मरम्मत एवं सुरक्षा उपायों की प्रगति, राईजिंग राजस्थान के तहत हुये एम.ओ.यू. की समीक्षा की व जिला स्तरीय विशेष मुद्दों के बारे में जानकारी ली व जिला स्तरीय विशेष मुद्दों का चिन्हीकरण उनके समाधान के लिये कार्ययोजना सुझाव भी लिये। बैठक में जिला कलेक्टर एल.एन. मंत्री ने विस्तृत प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले में बजट घोषणाओं के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रभा, डीएफओ जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी, उपखंड अधिकारी विमलेन्द्र राणावत, नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज भी उपस्थित रहे।

चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन

श्रीगंगानगर.का.सं

राजस्थान दिवस के अवसर पर राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी श्रीगंगानगर द्वारा श्री आत्म वल्लभ जैन कन्या महाविद्यालय में चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अमरचंद बोरड, श्याम जैन सहित अन्य अतिथियों ने सरस्वती माता एवं गणेश जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। चित्रकला प्रदर्शनी में टांटिया यूनिवर्सिटी, राजकीय कन्या महाविद्यालय, पीएम श्री राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय मटका चौक, नोजगे पब्लिक स्कूल, जैन आर्ट अकेडमी सूरतगढ़, केंद्रीय विद्यालय संगरिया, बीएसएफ स्कूल, टाइनी टाटस स्कूल, श्री आत्म वल्लभ जैन कन्या महाविद्यालय एवं प्राइवेट आर्ट अकादमी के छात्र-छात्राओं द्वारा भाग लिया गया।

7,100 करोड़ की बड़ी योजना

चार जिलों के 2497 गांवों को मिलेगा पानी, जाखम प्रोजेक्ट से बदलेगी तस्वीर

चित्तौड़गढ़.का.सं

प्रतापगढ़ जिले के जाखम डेम को उदयपुर के जयसमंद, बड़गांव होते हुए चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया बांध से जोड़ने के लिए 7100 करोड़ रुपए की परियोजना की डीपीआर तैयार हो रही है। इससे प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के साथ उदयपुर और राजसमंद जिले के सिंचाई तालाबों को पानी मिलेगा, जिससे किसानों को सीधा लाभ होगा। हालांकि बजट में घोषणा के बाद अभी इसकी डीपीआर तैयार हो रही है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर 4 जिलों के 2497 गांवों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलेगी।

प्रोजेक्ट की बजट घोषणा

गौरतलब है कि राजस्थान सरकार खेती-किसानी को उन्नत करने और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। पहले से प्रचलित जाखम पेयजल परियोजना के बाद अब जाखम सिंचाई परियोजना भी आ रही है। प्रतापगढ़ जिले का जाखम डेम राज्य का सबसे बड़ा है। इसकी कुल जलभारव क्षमता 5015 मिलियन घन फीट है, जिसकी भराव ऊंचाई 31 मीटर है।

चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया डेम पहुंचेगा पानी

यह तालाब सीतामाता अभयाराण्य में जाखम नदी पर स्थित है और पेयजल के साथ सिचाई के भी काम आता है। इसके पानी से आसपास के कई जिलों को लाभ पहुंचाने के लिए पहले चरण में उदयपुर के जयसमंद से जोड़ा जा रहा है। इसके बाद बड़गांव होते हुए इसका पानी चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया डेम को मिलेगा। इस परियोजना से कई जलाशय लबालब होंगे और हजारों किसानों की खेती को पर्याप्त सिंचाई जल मिलने लगेगा।

परियोजना के मुख्य बिंदु

जाखम बांध से प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और राजसमंद के 2497 गांवों में पेयजल और सिंचाई सुविधा प्रदान करने की बड़ी परियोजना मंजूर की है। परियोजना का उद्देश्य जाखम बांध से पानी लाकर आदिवासी क्षेत्रों (प्रतापगढ़- चित्तौड़गढ़) में सिंचाई क्षमता को बढ़ाना और पेयजल संकट को दूर करना है। इस परियोजना के प्रथम चरण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं सरकार, जाखम बांध को जयसमंद से जोड़ने की योजना पर भी काम चल रहा है। इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर 4 जिलों के 2497 गांवों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलेगी।

गणगौर का त्यौहार आज, घर-घर होगी शंकर पार्वती की होगी पूजा

बयाना. का.सं

बयाना कस्बे में इस समय गणगौर पूजा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है, हलवाईयों द्वारा गुना तैयार किए जा चुके हैं ।जिन्हें गणगौर पूजन करने वाले खरीदने में लगे हुए हैं । हलवाई राकेश अग्रवाल ने बताया कि मीठे गुना गणगौर पूजन एवं मंसने के काम आते हैं ।जिनका भाव 140 रु से लेकर 150 रु तक का चल रहा है । आज कन्या शिव गोरा के रुप रख कर बाजार में निकलेगी। और घर-घर में उनका पूजन कर आशीर्वाद लिया जाएगा । बयाना सहित उपखण्ड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में यूं तो कई पर्व त्यौहार हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार समय-समय पर मनाएं जाते हैं क्योंकि कई धर्म के लोग रहते हैं। इन्हीं परम्पराओं में शुमार सोलह दिनों तक अनवरत चलने वाला एवं खेलने वाला ऐतिहासिक पारम्परिक त्यौहार गणगौर पूजन में विभिन्न समाजों की महिलाएं अपने पति अथवा होने वाले पति को लेकर भगवान शिवजी (ईसर) और माता पार्वती (गौरा) की पूजा अर्चना कर मनोकामनाएं मांगी जाती है। वहीं गणगौर एक और बजह से जाना जाता है जहां इस पर्व में खास मिठाई बनाई जाती है, गुना। जो कि साल भर में एक बार ही मिलता है। जहां महिला श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करते हुए भगवान से परिवार में सुख-शांति समृद्धि एवं क्षेत्र में खुशहाली की मनोकामनाएं मांगी जाती है। वहीं कस्बे के हिंडौन सड़क मार्ग स्थित रामद्वारा के पास अग्रवाल मिष्ठान भंडार, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास सैनी मिष्ठान भंडार सहित अन्य मुख्य बाजार, पुरानी सब्जी मण्डी ऊपरला बाजार, पुरानी अनाज मण्डी सहित विभिन्न बाजारों में हलवाई गणगौर पूजन में माता पार्वती जी और शिव जी को भोग लगाने के लिए एवं सुहाग के प्रतीक पारम्परिक ऐतिहासिक मिठाई गुना बनाने में जुट गए हैं।

छात्रों के मानसिक स्तर, सुविधाओं और वातावरण का होगा आकलन, स्क्रीन टू कार्यक्रम से छात्राओं पर रहेगा विशेष फोकस

अजमेर. कंचन केसरी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने आज अजमेर के एक होटल में पत्रकारों से रू-ब-रू होते हुए संगठन की आगामी योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देशभर के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के छात्रावास परिसरों में व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण अभियान चलाया जाएगा। सोलंकी ने कहा कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन देना है। इसके तहत छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाओं, वहां के वातावरण और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का आकलन किया जाएगा। इसके लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं और खेलो भारत जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे छात्रों की भागीदारी बढ़े और उनकी सोच को सकारात्मक दिशा मिले। उन्होंने बताया कि एबीवीपी द्वारा स्क्रीन टू कार्यक्रम के अंतर्गत कॉलेज और छात्रावास परिसरों में विशेष रूप से छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं से सावधान रहने, मोबाइल के सीमित उपयोग और प्लास्टिक के उपयोग से बचने जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

पुरानी यादों के साथ मनाया सिंजारा

भीलवाड़ा.का.सं

शहर में लोक संस्कृति के संरक्षण और उत्सवों की उमंग के साथ एकता ग्रुप द्वारा सिंजारा और नववर्ष आगमन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) नियम 8-(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी के आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड (पूर्वतः इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के नाम से ज्ञात) (आईआईएफएल एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एक मांग सूचना निम्नवर्णित कर्जदारों/सह-कर्जदारों को जारी कर राशि का भुगतान करने की मांग की गई थी। कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार 'आईआईएफएल एचएफएल'' की बकाया राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा। कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है, यदि कर्जदार 'आईआईएफएल एचएफएल' की बकाया राशि वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों सहित, बिक्री या अंतरण की नियत तिथि से पहले किसी भी समय चुकता कर देता है, तो 'आईआईएफएल एचएफएल'' द्वारा प्रत्याभूत आस्ति बेची या अंतरित नहीं की जाएगी तथा 'आईआईएफएल एचएफएल'' द्वारा प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री या अंतरण के लिए आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

कर्जदार (रों)/ सह-कर्जदार (रों) का नाम	प्रतिभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया राशि (रू.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री सुखदेव कुमार श्री बेगराज श्रीमती सरस्वती देवी (प्रोस्पेक्ट नंबर IL10383415)	पट्टा संख्या 06, बही संख्या 05, स्थित ग्राम 4 Jj, ग्राम पंचायत 4 Jj, पंचायत समिति पदमपुर, ज़िला श्रीगंगानगर, राजस्थान, 335024, भारत परिमाप क्षेत्रफल (वर्ग फीट में): संपत्ति प्रकार: भूमि क्षेत्र, बिल्ट अप एरिया, कारपेट एरिया, संपत्ति क्षेत्र: 1890.00, 513.00, 410.00	रुपए 312540/- (रुपए तीन लाख बारह हजार पांच सौ चालीस मात्र)	03/11/ 2025	18/03/ 2026

अतिरिक्त विवरण के लिए, कृपया प्राधिकृत अधिकारी से **शाखा कार्यालय** पर सम्पर्क करें: एम्बिशन टॉवर, प्लॉट नंबर डी-46-बी, ऑफिस नंबर 307 से 312, मालन का चौराहा, अग्रसेन सर्कल, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302001/**कार्पोरेट कार्यालय:** प्लॉट नंबर 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा।

स्थान : जयपुर दिनांक : 21-03-2026 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड

कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय:- 502, टावर-ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
सर्किल कार्यालय:- 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

परिशिष्ट IV कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना (एं) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित कर्जदार (रों)/गारंटर (रों) को जारी की गई थी, जिसमें उनसे सूचना में वर्णित राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्वारा कर्जदार (रों)/गारंटर (रों) और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर सुरक्षित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय की ओर आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार सीजीसीएल की बकाया राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	कर्जदार (रों)/गारंटर (रों) का नाम	प्रतिभूत आस्ति का वर्णन (अचल संपत्ति)	मांग सूचना तिथि और राशि	कब्जे की तिथि
1.	(ऋण खाता संख्या LNMESMR000088488 (पुराना) 80400005780005 (नया) सुमेरपुर शाखा) शंकर सिंह डी चौहान पुत्र श्री देवसिंह (कर्जदार) श्री देवी सिंह पुत्र श्री पूरम सिंह, श्रीमती रीना कुंवर शंकर सिंह चौहान पत्नी श्री शंकर सिंह चौहान (सह-कर्जदार)	संपत्ति के समस्त अंश व खंड: भूमि एवं भवन, भूमि क्षेत्र का माप 4451 वर्ग फीट, आबादी पट्टा संख्या 2313, बही संख्या 24, मिसल संख्या 15/2010-11, ग्राम लोटाना, तहसील पिंडवाड़ा, जिला सिरोही, राजस्थान 307022, सीमाबद्ध: पूर्व: द्वार और आम रास्ता, पश्चिम: गली, उत्तर: द्वार और आम रास्ता, दक्षिण: स्वयं की भूमि और अजीज पुत्र फजल मौहम्मद की संपत्ति।	08-12-2025 रुपए 3367964/-	17-03-2026

स्थान: राजस्थान हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी)
दिनांक: 21-03-2026 वास्ते कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल)

कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय:- 502, टावर-ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
सर्किल कार्यालय:- 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के अधीन। अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के तहत कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) का प्राधिकृत अधिकारी है। प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें निम्नलिखित कर्जदार(रों) (''उक्त कर्जदार(रों)'') से उनको जारी की गई संबंधित मांग सूचना(ओं) में वर्णित राशियां, जो नीचे भी दी गई हैं, चुकाने की मांग की गई थी। उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा, उक्त कर्जदार(रों) को, एक बार पुनः, यहां नीचे दी गई राशियों का भुगतान सीजीसीएल को, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक, ऋण अनुबंध के साथ पठित अन्य दस्तावेजो/प्रलेखों, यदिकोई, जो उक्त कर्जदार(रों) द्वारा निष्पादित किया गया है, के तहत देय आगे ब्याज सहित, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने हेतु सूचना दी जाती है। उक्त कर्जदार (रों) द्वारा ऋण की प्रतिभूति के लिए निम्नलिखित आस्तियां सीजीसीएल के पास बंधक रखी गई हैं।

क्र. सं.	कर्जदार (रों)/गारंटर (रों) का नाम	मांग सूचना तिथि और राशि	प्रतिभूत आस्ति का वर्णन (अचल संपत्ति)
1	(ऋण खाता संख्या LNMESMP000162431 (पुराना) 80300005930369 (नया) (सवाई माधोपुर शाखा) श्री अंकुश दीक्षित पुत्र श्री शिव नंदन दीक्षित (कर्जदार) श्री गौरव दीक्षित पुत्र श्री शिव नंदन शर्मा, श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री शिव नंदन, श्री शिव नंदन शर्मा पुत्र श्री देवकी नंदन शर्मा, मैसर्स श्री रुद्राय हैल्थ केयर अपने स्वामी के माध्यम से, मैसर्स नंदन ड्रग एजेंसीज अपने स्वामी के माध्यम से (सह-कर्जदार)	12-03-2026 रुपए 41,42,882/- (04-03-206 तक)	संपत्ति के समस्त अंश व खंड: भूमि एवं भवन, परिमाप क्षेत्रफल 1680 वर्ग फीट, प्लॉट नंबर 68, पट्टा नंबर 3276, खसरा नंबर 1052, 1053 और 1054, बानीपार्क कॉलोनी, ग्राम-मिर्जापुर, गंगापुर, जिला-सवाई माधोपुर, राजस्थान-322201, सीमाबद्ध: पूर्व: प्लॉट नंबर 79, पश्चिम: 20 फीट सड़क, उत्तर: प्लॉट नंबर 67, दक्षिण: अन्य की भूमि।
2	(ऋण खाता संख्या 80300013253716 (चित्तौड़गढ़ शाखा) श्री पुष्कर तेली पुत्र श्री नारायण लाल तेली (कर्जदार) श्री नारायण लाल तेली पुत्र श्री लाला तेली, श्रीमती नानी बाई पत्नी श्री नारायण लाल तेली (सह-कर्जदार)	11-03-2026 रुपए 20,04,086/- (07-03-206 तक)	संपत्ति के समस्त अंश व खंड: भूमि एवं भवन, परिमाप क्षेत्रफल 3480 वर्ग फीट, पट्टा नंबर 18, बही संख्या 648, आराजी नंबर 1202, ग्राम बोरडा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान-312901 सीमाबद्ध: पूर्व: कन्हैया ढोली का मकान, पश्चिम: रास्ता, उत्तर: शांति लाल टेलर का मकान, दक्षिण: नाथू पुत्र भेरू माली का बाड़ा।

यदि उक्त कर्जदार सीजीसीएल को उपरोक्तानुसार भुगतान करने में विफल रहेंगे, सीजीसीएल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) और लागू नियमों के अधीन उपरोक्त प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी, जिसकी लागत और परिणामों की जोखिम के लिए उक्त कर्जदार पूर्णरूपेण जिम्मेदार होंगे। उक्त कर्जदार उक्त अधिनियम के तहत, सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, उपरोक्त आस्तियां बिक्री, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से अंतरित नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों अथवा तदधीन विरचित नियमों का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन हेतु अभिप्रेरित करता है, उक्त अधिनियम के तहत दी गई व्यवस्था के अनुसार कारावास तथा/अथवा आर्थिक दण्ड का भागी होगा।

स्थान: राजस्थान हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी)
दिनांक: 21.03.2026 वास्ते कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल)

पेगासस एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: 55-56, 5वां तल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021.
पंजीकृत कार्यालय: 507, दातामल हाउस, जमनालाल बजाज रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021.

ई-नीलामी द्वारा बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप से नीचे उल्लिखित कर्जदार(रों) सह- कर्जदार(रों) गारंटर(रों) तथा बंधकदाता(ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित प्रतिभूत आस्तियां, प्रतिभूत लेनदार, **पेगासस 2023 ट्रस्ट 10 (पेगासस) के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पास बंधक/प्रभारित अचल संपत्तियां,** जो **जना स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड** (''जेएसएफबीएल'') द्वारा सरफासी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 28-03-2024 के समनुदेशन अनुबंध के माध्यम से नीचे उल्लिखित कर्जदार के ऋण, अंतर्निहित प्रतिभूति ब्याज के साथ सौंपी गई हैं, सरफासी ऐक्ट तथा उसके तहत नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत **''जैसी है जहां है'', ''जो है जैसी है'' तथा ''जो कुछ है वहां है''** के आधार बेची जा रही हैं। **पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने 20-03-2025 को सरफासी ऐक्ट और उसके नियमों के प्रावधानों के तहत अचल संपत्ति के रूप में नीचे वर्णित प्रतिभूत आस्तियों का **भौतिक कब्जा** ले लिया है। नीलामी का विवरण इस प्रकार है:

कर्जदार(रों) सह- कर्जदार(रों) गारंटर(रों) का नाम:	क) श्री अजय पडीहार पुत्र झंवर लाल (कर्जदार) ख) श्रीमती मुन्नी पत्नी झंवर लाल (सह-कर्जदार)
बकाया राशि जिसके लिए प्रतिभूत आस्तियां बेची जा रही हैं	रुपये 21,36,412/- (रुपये इक्कीस लाख छत्तीस हजार चार सौ बारह मात्र) 03-02-2026 तक, अनुबंध दर पर ब्याज और उस पर 04-02-2026 से भुगतान और वसूली की तारीख तक लागत, शुल्क और व्यय
बेची जा रही प्रतिभूत आस्तियों का विवरण	भूमि एवं भवन वाल्मीकि मौहल्ला, प्रताप बस्ती, बीकानेर, राजस्थान। परिमाप 59.09 वर्ग गज। **मुन्नी पत्नी झंवर लाल द्वारा स्वाधिकृत। सीमाबद्ध: पूर्व:** रास्ता, **पश्चिम:** श्याम लाल, **उत्तर:** दीपचंद का मकान, **दक्षिण:** मोहन लाल।
सुरक्षित मूल्य जिसके नीचे प्रतिभूत आस्तियां नहीं बेची जाएगी (रुपए में):	रुपए 10,56,000/- (रुपए दस लाख छप्पन हजार मात्र)
बयाना राशि जमा आरक्षित मूल्य का 10%	रुपए 1,05,600/- (रुपए एक लाख पांच हजार छः सौ मात्र)
दावे, यदि कोई, जो संपत्ति के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए हों तथा प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात किसी अन्य बकाया राशि और मूल्य	ज्ञात नहीं
क्रेसाई आईडी	सिक्योरिटी आईडी: 400051637655; एसेट आईडी: 200051633536;
संपत्तियों का निरीक्षण:	06-04-2026 को पूर्वा. 11:30 बजे से अप. 03:00 बजे तक
संपर्क व्यक्ति और फोन नंबर:	श्री रमाकांत पांडे (प्राधिकृत अधिकारी) मोबाइल नंबर 9087788888 श्री रमेश गिरी - मोबाइल नंबर 9643468804
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि:	13-04-2026 अप. 04:00 बजे तक
बोली खोलने का समय और स्थान:	ई-नीलामी/बोली वेबसाइट (www.foreclosureindia.com) (https://bankauctions.in) के माध्यम से 14-04-2026 को पूर्वा. 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक

यह प्रकाशन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के अंतर्गत उपर्युक्त कर्जदार(रों) सह- कर्जदार(रों) गारंटर(रों) तथा बंधकदाता(ओं) को पंद्रह (15) दिन का नोटिस भी है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया किसी भी बोली को प्रस्तुत करने से पहले प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट यानी http://www.pegasus-arc.com/assets-to-auction.html या वेबसाइट (www.foreclosureindia.com) (https://bankauctions.in) देखें या सेवा प्रदाता मेसर्स 4 क्लोजर से संपर्क करें, श्री प्रकाश संपर्क हेतु नंबर: 8142000064. ईमेल आईडी: info@bankauctions.in/prakash@bankauctions.in

स्थान: बीकानेर, राजस्थान हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड,
दिनांक: 20-03-2026 पेगासस 2023 ट्रस्ट 10 के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत